अंडरग्राउंड सब डिविजन और सिंहस्थ डिविजन पर मुहर

शहर में पांच नए बिजली जोन की मंजूरी

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

शहर में बिजली वितरण फिलहाल 30 जोन से हो रहा है, जिन्हें बढ़ाकर 35 किया जा रहा है। वहीं शहर के विस्तारित होने व नई कॉलोनियों की अंडर ग्राउंड बिजली लाइनों की देखरेख के लिए अंडर ग्राउंड लाइन संधारण के लिए डिविजन और सिंहस्थ 28 के लिए डिविजन बनाए जाएंगे।

उक्त निर्णय मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिटिंग में शुक्रवार को लिए गए। मिटिंग की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा सचिव एवं बिजली वितरण कंपनियों के अध्यक्ष अविनाश लावनिया ने की। इसमें वित्त विभाग के आरआर मीणा, प्रबंध निदेशक अनूपकुमार सिंह, ऊर्जा विभाग ओएसड़ी वीके गौड़, डॉ. अरूणा तिवारी, डॉॅ. प्रशांत सालवान समेत विभिन्न सदस्य व मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि शहर के पांच नए जोन में तुलसीनगर. मांगलिया शहरी जोन, सिलिकॉन सिटी जोन, बिलावली जोन, नंदबाग जोन बनेंगे। ये सभी नए जोन समीप के मौजूदा बिजली जोन से संबंधित उपभोक्ताओं से जोड़कर त्वरित बिजली सेवा समीप के ही नए जोन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यूजीएन सब डिविजन यानि अंडरग्राउंड लाइन सब डिविजन भी बनेगा, जो स्मार्ट सिटी व अन्य इलाकों, नई कॉलोनियों की अंडर ग्राउंड लाइन का संधारण देखेगा। मिटिंग में नए जोन व अंडर ग्राउंड सब डिविजनों की मंजूरी आगामी एक वर्ष के लिए दी गई है।

अन्य निर्णय लिए गए

वहीं सिंहस्थ के डिविजन की अनुमति वर्ष 2028 के सिंहस्थ की समाप्ति तक प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कंपनी के अन्य निर्णय लिए गए। बैठक में कार्यपालक निदेशक गजरा मेहता, मुख्य अभियंता एसएल करवाडयिा, कामेश श्रीवास्तव, एसआर सेमिल, सुषमा गंगराड़े, मुख्य वित्त अधिकारी अजयपाल सिंह अवास्या, कंपनी सचिव आराधना कुलकर्णी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर सरकारी विभाग जुट जाएगा

कार्य में पिछड़ रहे इंदौर के लिए आगे आए कर्मचारी संगठन

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को तीव्र गति देने, निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी संगठनों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में प्रत्येक विभाग और संगठन की भूमिका अत्यंत अहम है, इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी स्वयं भी फॉर्म भरें और दूसरों को जोड़ने में मदद करें। बैठक में अपर कलेक्टर रोशन राय सहित शिक्षा, कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे आगे आकर इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं फॉर्म भरने के साथ अपने परिवार के सदस्यों, संगठन के सदस्यों और आसपास के नागरिकों को भी फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे।

अब तक पांच लाख फार्म ही हुए जमा

इंदौर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य अब तेजी पकड़ गया है। अब तक 5 लाख नागरिकों के फार्म जमा हो गए हैं। इंदौर में डिजिटलाइजेशन भी बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो गया है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य में इंदौर पिछड़ा हुआ था। इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि इंदौर में फार्म छपकर देरी से आए थे। इसके बाद में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा काम को गति देते हुए तेज गति से काम शुरू करने की कोशिश की गई।

एसआइआर प्रक्रिया के जिम्मेदार अधिकारी छुट्टी पर

इंदौर। प्रदेशभर में एसआईआर की प्रक्रिया चरम पर है। इंदौर में भी कलेक्टर से लेकर सारे अधिकारी काम के दबाव में हैं, लेकिन यहां के निर्वाचन सुपरवाइजर अपने बेटे की शादी के लिए अवकाश पर चल रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक फार्म हाउस पर निर्वाचन वेंडरों के साथ पार्टी कर रहे हैं। प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इसमें जिला पिछड़ रहा है। काम में देरी होने पर लगातार फटकार भी मिल रही है। ऐसे में निर्वाचन सुपरवाजर दुबे का छुट्टी पर चले जाना चर्चा का विषय है। पता चला कि दुबे अपने बेटे की शादी के नाम पर 17 नवंबर से 5 दिसंबर तक छुट्टी पर हैं। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे वेंडरों के झूमते हुए नजर आ रहे हैं।इसकी जानकारी कलेक्टर को भी लगी है और उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया है।

लगभग 60 करोड़ रुपए की मुक्त करायी गई भूमि

18 बीघा शासकीय भूमि अवैध कब्जा मुक्त की

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

शुक्रवार को डॉ. अम्बेडकर नगर, महू में महत्वपूर्ण राजस्व कार्रवाई संपादित की गई। जिला प्रशासन की टीम ने लगभग 18 बीघा शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। इस भूमि पर करीब 40 वर्षों से अवैध कब्जा था। उक्त भूमि कब्जा मुक्त कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंप दी गई है।

यह भूमि लंबे समय से अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने के कारण सरकारी उपयोग में नहीं लाई जा पा रही थी। राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

विधि छात्र की चिट्ठी बनी जनहित याचिका

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र, नाले के पानी से उगा रह सब्जी

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

एक विधि छात्र ने चिट्ठी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को भेजकर नाले के पानी से उगाई जा रही सब्जियां, से अवगत कराया। साथ ही जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े किए। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने विधि छात्र की चिठ्ठी को गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका मानते हुए संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। विधि छात्र ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर बताया कि मप्र में नाले के पानी से सब्जियां, उगाई जा रही जिन्हें बिना जांच बेचा जा रहा है। विधि छात्र ने पत्र याचिका में बताया कि पालक, पत्ता गोभी, धनिया, भिंडी, भटे, मूली सब दूषित पानी में तैयार हो रहें है। स्टूडेंट का याकिा में कहा है..इन सब्जियों की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 घंटे फ्रिज में रखते ही चार गुना ज्यादा हो जाती है दूषित और संक्रामक ,लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं संबंधित विभाग नहीं करता है। हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया - जानकारी के मुताबिक डिवीजन बेंच ने संबंधित पक्षो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

श्रीराम शौर्य कथा हेतु भूमिपूजन

इंदौर। दशहरा मैदान स्थित रामायण वाटिका पर 2 से 8 दिसम्बर तक होने वाली श्रीराम शौर्य कथा के लिए शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर परिषद के सदस्य अभिषेक बबलू शर्मा एवं पार्षद योगेश गेंदर के आतिथ्य में वैदिक मंगलाचरण के बीच भूमिपूजन संपन्न हुआ। इसके साथ ही मानस मर्मज्ञ आचार्य शांतनु महाराज के श्रीमुख से होने वाली श्रीराम शौर्य कथा के लिए पंडाल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। भूमिपूजन समारोह में संस्था छवि सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से समाजसेवी गोपाल गोयल, अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन की ओर से किशोर गोयल, संजय बांकड़ा, मनोज धनोतिया, पं. योगेन्द्र महंत आदि मौजूद थे। कथास्थल दशहरा मैदान को रामायण वाटिका नाम दिया गया है, जहां शांतनु महाराज प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक श्रीराम शौर्य कथा की अमृतवर्षा करेंगे।

आत्मा को शुचिता-निर्मलता एवं देते हैं तपस्या और साधना

आचार्यश्री विश्वरत्न सागर मसा को विदाई

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

तपस्या और साधना हमारी आत्मा को शुचिता और निर्मलता प्रदान करते हैं। तप और संयम-साधना के मार्ग पर चलकर हम स्वयं को पवित्र और तपस्वी बनाने का पुरुषार्थ करें तो हमारी आने वाली पौध भी सत्य, अहिंसा और त्याग के बूते पर जिनशासन की प्रतिष्ठा को नई समृद्धि और ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। तपस्या के मामले में इंदौर के समाजबंधु सबसे आगे रहते हैं, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उक्त विचार जैनाचार्य विश्वरत्नसागर मसा ने शुक्रवार को अर्बुद गिरिराज जैन श्वेताम्बर तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट पीपली बाजार, जैन श्वेताम्बर मालवा महासंघ एवं नवरत्न परिवार के संयुक्त तत्वावधान में दलालबाग के विशाल परिसर में आयोजित

धर्मसभा में उपधान तप के 133 तपस्वी बंधुओं तथा लाभार्थी परिवारों के बहुमान के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर आचार्य मृदुलरत्नसागर मसा, गणिवर्य कीर्तिरत्न सागर मसा, उदयरत्न सागर मसा, उत्तमरत्न सागर मसा आदि उपस्थित थे। उपधान तप के मुख्य लाभार्थी दिलसुखराज कटारिया, सह लाभार्थी विनोद कुमार रतनलाल जैन परिवार तथा बहुमान के लाभार्थी सतीश-अमन व्होरा परिवार ने सभी तपस्वियों का स्वर्ण मुद्रा से बहुमान किया।

आयोजन | **बास्केटबाल उपाश्रय पर आज वर्षीदान**

पांच सौ से अधिक श्रावकों ने की मुमुक्षु के सार्थक संन्यास कामना

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

सिकंदराबाद के 21 वर्षीय युवा आर्किटेक्ट कौशिक कुमार खांटेड के संन्यास जीवन की धन्यता और सार्थकता के संकल्प के साथ शुक्रवार को सुबह सैकड़ों श्रावकों ने साधु-साध्वी-भगवंतों की निश्रा में 48 मिनिट तक अपने संसारी जीवन से दूर रहकर मौन साधना एवं प्रार्थना की।

जैनाचार्य विजय पद्मभूषणरत्न सूरीश्वर, विजयजिनसुंदर सूरीश्वर एवं आचार्य विजय धर्मबोधि सूरीश्वर मसा सहित 50 से अधिक साधु-साध्वी-भगवंत नवकार परिवार की मेजबानी में आयोजित इस अनुष्ठान में निश्रा प्रदान करने हेतु उपस्थित थे। शीतलहर के बावजूद सभी आयु वर्ग के करीब 500 साधक इस समूह सामायिक में शामिल हुए। 48 मिनिट की इस अवधि में साधना करने वाले पूरी तरह से संसारी जीवन की सभी गतिविधियों से स्वयं को मुक्त रख मन ही मन परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हैं।

संसारी जीवन की वस्तुएं त्यागेंगे

दीक्षा महोत्सव के तृतीय सौपान पर शुक्रवार दोपहर में 300 महिलाओं की महाचौबीसी भी संपन्न हुई। संध्या को मुमुक्षु की रजवाड़ी शोभायात्रा भी निकाली गई। सन्यास और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने के पूर्व मुमुक्षु कौशिक कुमार का उत्साहवर्धन करने और अपने स्नेहीजनों से शुभाशीष प्राप्त करने का यह भावपूर्ण प्रसंग था। शनिवार 22 नवंबर को सुबह 8.30 बजे मुमुक्षु कौशिक कुमार बग्घी में सवार होकर अपने संसारी जीवन में काम आने वाली वस्तुएं लुटाते हुए बास्केटबाल स्टेडियम तक पहुंचेगें, जहाँ धर्मसभा एवं दीक्षा के मुख्य चढ़ावे के बाद दोपहर 4 बजे संसारी वेश में उनका अंतिम भोजन होगा। शाम 7.30 बजे संसारी जीवन के अपने परिजनों. स्नेहीजनों से अंतिम बिदाई लेंगे। रविवार को सुबह 7 बजे से उनकी दीक्षा विधि प्रारंभ होगी। सभी जैनाचार्य, साधु-साध्वी एवं देशभर से आए समाज बंधु इस उत्सव में साक्षी बनेंगे।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE — Apna Ghar. Apal Pehchan.

पंजीकृत कार्यालय छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाई: धन ट्राइडेंट, मंगल सिटी, सर्विस रोड, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452010

ई–नीलामी बिक्री सूचना

सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''**सुरक्षित लेनदार**'' कहा जाएगा) को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा **अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत** सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जो है जैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 23–12–2025** को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। **बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।**

सं. क्र.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ऋण संख्या HL006150000000005004172 प्रकाश नारायण सिंह (उधारकर्ता) संगीता सिसोदिया (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–05–2025 कुल बकाया: रु. 303098/– (मात्र तीन लाख तीन हजार अट्ठानवे रुपये) 10–05–2025 को देना होगा, साथ ही वसूली तक 16.60% सालाना ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	प्लॉट/मकान का वह पूरा भाग सर्वे नंबर 314/1/2, पीएच नंबर 262, गांव केसूर, तहसील और जिला धार पर है। इसका साइज 1260 वर्ग फुट है। प्लॉट की सीमायें– पूरब – अशोक का घर, पश्चिम–कॉमन रोड, उत्तर–मनोहर शर्मा का घर, दक्षिण–अशोक शर्मा का घर।	रु. 826875/– (मात्र आठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये)	रु.82687.5/– (रुपये बयासी हजार छह सौ सत्यासी और पचास पैसे)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
2	ऋण संख्या LAP06852000000005043428 संजय भूरिया (उधारकर्ता) मीरा बाई भूरिया (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–05–2025 कुल बकाया: रु. 785848/– (मात्र सात लाख पच्यासी आठ सौ अड़तालीस रुपये) 10–05–2025 को देना होगा, साथ ही वसूली तक 18.35% सालाना ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	रेजिडेंशियल हाउस नंबर 137 का वह पूरा भाग, एरिया 546 वर्ग फुट पीएच नंबर 57, गांव सुसारी तहसील कुक्षी जिला धार (म.प्र.) पर है। सीमायें – पूरब – पहाड़ सिंह का घर, पश्चिम – अपना घर, उत्तर – आम रास्ता, दक्षिण – मुकेश की जमीन।	रु.1170488/– (ग्यारह लाख सत्तर हजार चार सौ अठासी मात्र)	रु.117048.8/– (रुपये एक लाख सत्रह हजार अड़तालीस और अस्सी पैसे मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
3	ऋण संख्या HF0135H21100406 मलखान सिंह (उधारकर्ता) अंजू तंवर (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–05–2025 कुल बकाया: रु. 667088/– (मात्र छह लाख सड़सठ हजार अट्ठासी रुपये) 10–05–2025 को देना होगा, साथ ही वसूली तक 16.85% सालाना ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	अचल प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा, हाउस/प्लॉट नंबर 175, सर्वे नंबर 78 के तहत जमीन पर है, गाँव जलवे (पटवारी हल्का नंबर 128), तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.), जिसका एरिया 4560 वर्ग फुअ है। उस पर कंस्ट्रक्शन है, और अंडर–बाउंड्री से घिरा है पूरब भेरूसिंह की जमीन पर या पश्चिम नवल सिंह का घर, उत्तर लखन की भूमि पर या दक्षिण कॉमन वे	रु.1203038/– (बारह लाख तीन हजार अड़तीस मात्र)	रु.120303.8/– (रुपये एक लाख बीस हजार तीन सौ तीन और अस्सी पैसे मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
4	ऋण संख्या HL006400000000005026221 दद्दू कनेल (उधारकर्ता) दद्दू कनेल (सह–उधारकर्ता) बंटी बाई दद्दू (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–03–2025 कुल बकाया: रु. 513660/– (रूपये पांच लाख तेरह हजार छह सौ साठ मात्र) 10–03–2025 तक देना होगा, साथ में वसूली तक 17.60% सालाना ब्याज भी।	भौतिक	प्रॉपर्टी का वह सारा हिस्सा, हाउस नंबर 20, गाँव जलवे में है हनुमंत्या, पी.एच. नंबर 102, तहसील मनावर जिला धार, वार्ड नंबर 03, ग्राम पंचायत धनखेड़ी, कुल एरिया 55x12 फीट। एरिया 660 वर्ग फुट कागजात के हिसाब से सीमाएं– पूरब–कॉमन रोड, पश्चिम–रोड, उत्तर– भागा का मकान, दक्षिण–रोड और तुकाराम की जमीन।	रु. 564375/– (मात्र पाँच लाख चौसठ हजार तीन सौ पचहत्तर रुपए)	रु. 56437.5/– (रुपये छप्पन हजार चार सौ सैंतीस और पचास पैसे मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
5	ऋण संख्या HF0135H21100745 जगदीश केशरलाल जी (उधारकर्ता) शिव जाट (सह–उधारकर्ता) चंदा बाई जगदीश (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–05–2025 कुल बकाया: रु. 841348/– (रूपये आठ लाख इकतालीस हजार तीन सौ अड़तालीस मात्र) 10–05–2025 तक देना होगा, साथ में वसूली तक 21.85% सालाना ब्याज भी लगेगा।	भौतिक	सर्वे नंबर 186, पटवारी हल्का नंबर 131, गाँव बिल्लोद, तहसील और जिला धार में प्लॉट/मकान का वह पूरा अंश भाग, जिसका माप 2772 वर्ग फुट है। प्लॉट की सीमाएं– पूरब– महिमा पटेल का मकान, पश्चिम– कॉमन रोड, उत्तर– जितेंद्र जाट का मकान, दक्षिण– अमजत पटेल का मकान	रु. 2286900/– (रुपये बाईस लाख छियासी हजार नौ सौ मात्र)	रु. 228690/– (रुपये दो लाख अट्ठाईस हजार छह सौ नब्बे मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
6	ऋण संख्या HF0472H21100988 विष्णु प्रसाद (उधारकर्ता) विष्णु प्रसाद (सह–उधारकर्ता) टीना विष्णु प्रसाद (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 07–11–2024 कुल बकाया: रु. 795265/– (रूपये सात लाख पंचानवे हजार दो सौ पैंसठ रुपये मात्र) 07–11–2024 को देय, साथ में वसूली तक 17.75% सालाना ब्याज।	भौतिक	रेजिडेंशियल हाउस/प्लॉट प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जो हाउस नंबर 128, ग्राम आबादी सर्वे नंबर 487, गांव नानूखेड़ा, ग्राम पंचायत नानूखेड़ा, तहसील तराना और जिला उज्जैन (म.प्र.) पी.एच.एन. 43 पर है। बाउंड्री– पूरब–कॉमन वे, पश्चिम–बने सिंह का घर, उत्तर–टोपहन सिंह का घर, दक्षिण–कॉमन वे।	रु. 1434213/–(मात्र चौदह लाख चौंतीस हजार दो सौ तेरह रुपये)	रु. 143421.3/– (मात्र एक लाख तिरतालीस हजार चार सौ इक्कीस रुपये और तीस पैसे मात्र)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
7	ऋण संख्या HF0412H20100189 मंगीलाल रामनारायण (उधारकर्ता) मांगीलाल रामनारायण, शुभम जाट और कमला बाई मांगीलाल (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 10–03–2025 कुल बकाया: रु. 1070291/– (रूपये दस लाख सत्तर हजार दो सौ इक्यानवे रुपये मात्र) 10–03–2025 को देय, साथ में 18.35% सालाना ब्याज वसूली तक।	भौतिक	रेजिडेंशियल हाउस नंबर 78 एरिया 800 वर्ग फुट का वह पूरा हिस्सा, आबादी खसरा नंबर 311, पी. एच. नं. 13/65, वार्ड नंबर 07, गांव जेतपुरा तहसील और जिला धार (म.प्र.) पर है। बाउंड्री – पूर्व– कन्हैयालाल का घर, पश्चिम– आम रास्ता कच्चा, उत्तर नंदराम का घर, दक्षिण कंवरलाल का घर। ईस्ट से वेस्ट दोनों तरफ एरिया – 40' नॉर्थ से साउथ दोनों तरफ – 20' टोटल एरिया 800 वर्ग फुट या 74.32 वर्ग मी.	रु. 1662500/– (मात्र सोलह लाख बासठ हजार पाँच सौ रुपये)	रु. 166250/– (मात्र एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचास रुपये)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
8	ऋण संख्या LAP04152000000005018023 परमानंद घिया (उधारकर्ता) परमानंद घिया, संतोष बाई परमानंद घिया और लालचंद खारोल (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 07–01–2025 कुल बकाया: रु. 907704/– (रूपये नौ लाख सात हजार सात सौ चार मात्र) 07–01–2025 को देना होगा, साथ ही रियलाइनेशन तक 18% सालाना ब्याज भी।	भौतिक	प्लॉट/हाउस प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जो लैंड सर्वे नंबर 172 पैकी मेसे पटवारी हल्का नंबर 43 वार्ड नंबर 01 हाउस नंबर 86 विलेज आजमपुर डोडिया तहसील पिपलोदा डिस्ट्रिक्ट रतलाल म.प्र. पर है। बाउंड्री (ड्राफ्ट के हिसाब से) पूर्व मोहन सिंह का घर, पश्चिम – गली और भंवरलाल पुत्र राम मालवीय का घर, उत्तर– अपना बाड़ा। दक्षिण रोड। टोटल एरिया–1444 वर्ग फुट	रु. 1485050/–(मात्र चौदह लाख पच्यासी हजार पचास रुपये)	रु. 148505/–(मात्र एक लाख अड़तालीस हजार पांच सौ पांच रुपये)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
9	ऋण संख्या HL0274H15100048 नीलेश धाकड़ (उधारकर्ता) सुमित्रा, जनकलाल, अनिल कुमार धाकड़ और प्रेमलता बाई (सह–उधारकर्ता)	नोटिस की दिनांक: 24–09–2022 कुल बकाया: रु. 569025.5/– (रूपये पाँच लाख उनहत्तर हजार पच्चीस और पचास पैसे मात्र) 24–09–2022 को देना होगा, साथ ही रियलाइजेशन तक 16.5% सालाना ब्याज भी।	भौतिक	घर की गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा, जो आबादी, वार्ड नंबर 15, गाँव धमनार, तहसील और जिला मंदसौर में है। (मकान नंबर 792, वार्ड नंबर 15, पी एच नंबर 57, गाँव धमनार, तहसील और जिला मंदसौर, एनओसी द्वारा) पूरब में शोभाराम और उदयलाल का घर, पश्चिम में बद्रीलाल का घर, उत्तर में रामबिलास का घर, दक्षिण में रोड, कुल एरिया 1652 वर्ग फुट	रु. 972300/–(मात्र नौ लाख बहत्तर हजार तीन सौ रुपये)	रु. 97230/–(मात्र संत्यानवे हजार दो सौ तीस रुपये)	22-12-2025 शाम 5 बजे से पहले	10,000/–	17-12-2025 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-12-2025 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय–पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता– प्लॉट संख्या–68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा–122003। हेल्पलाइन नंबर–7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी–Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति–विनोद चौहान, ईमेल आईडी–delhi@c1india.com संपर्क नंबर–9813887931** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस ''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड–नीलामी आय खाता,'' बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या–091551000028 और आईएफएससी कोड– ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर–411014 के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **22–12–2025** से पहले जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई–नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई–मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व–सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होगी: धन ट्राइडेंट, मंगल सिटी, सर्विस रोड, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452010 **मोबाइल नंबर +91 9567626050 ई–मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई–नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएँ।**

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थान: इंदौर
दिनांक: 22.11.2025

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड